पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.01.2025

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 30.01.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.01.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 30.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सूर्यभान सिंह मय हमराह कां0 अर्जुन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुकेश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 बृजगोपाल विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की सफेद बोरी में 22 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्ती ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए बीला दक्षिण रोशन सिंह बदन सिंह डिग्री कालेज के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादि की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

मुकेश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 बृजगोपाल विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सूर्यभान सिंह
2. कां0 अर्जुन कुमार

रिटायर्ड सैनिक के घर से चोरी की घटना का सफल अनावरण-

जनपद महोबा की एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने चौकी बजरिया क्षेत्र में रिटायर्ड सैनिक के घर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है, चोरी की घटना में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के 03 नफ़र वांछित शातिर अभियुक्तों को मय चोरी की गयी सम्पत्ति, चोरी की गयी लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस के अतिरिक्त अवैध तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है-

घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को ₹ 10 हजार/- के नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।

दिनांक- 19.01.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर महोबा के चौकी बजरिया क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला यशोदा नगर अवस्थित रिटायर्ड सैनिक श्री लोकेन्द्र मिश्रा पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्रा के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा रिटायर्ड सैनिक का लाइसेन्सी रिवाल्वर, कारतूस, जेवर व नगदी चोरी किये जाने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.सं. 40/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया, जिस पर पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा फारेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया था, जिसके क्रम में उक्त चोरी की घटना के जल्द खुलासा किये जाने व इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व चोरी की सम्पत्ति की बरामदगी सुनिश्चित किये जाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस की संयुक्त 05 टीमों का गठन किया गया था।

गठित पुलिस टीमों द्वारा साक्ष्यों का संकलन करते हुए विभिन्न सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, पुलिस टीमों द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के क्रम में आज दिनांक- 30.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के नहर पुलिया पठा रोड महोबा के पास से उक्त चोरी की घटना में संलिप्त 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.**आशाराम उर्फ अस्सू धोबी** पुत्र ठाकुरदास उम्र 34 वर्ष नि0 हमीरपुर चुंगी न्यू सिटी महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा 2.**धनश्याम उर्फ घंसू** पुत्र धनीराम पाल उम्र 36 वर्ष नि0 ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा 3.**राजेश ढीमर** पुत्र गड्डवा उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम भड़रा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस अवैध बरामद किये गये साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0 40/25 से सम्बन्धित 01 अदद लाइसेंसी रिवाल्वर,19 अदद कारतूस .32 बोर, 19 अदद कारतूस 315 बोर, कुल 02 लाख 25 हजार रुपये व पीली धातु 39.62 ग्राम की बरामदगी की गयी है, इस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं अवैध तमंचा बरामद होने पर क्रमशः मु0अ0सं0 57/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आशाराम उर्फ अस्सू उपरोक्त व मु0अ0सं0 58/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजेश ढीमर उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करने वाली संयुक्त पुलिस टीम को ₹ 10 हजार/- के नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं बरामदगी का विवरण-

1. आशाराम उर्फ अस्सू धोबी पुत्र ठाकुरदास उम्र 34 वर्ष नि0 हमीरपुर चुंगी न्यू सिटी महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल 150000(एक लाख पचास हजार) रुपये, 19 कारतूस 315 बोर जिसमें 18 जिन्दा कार0 व 01 मिस कार0 तथा पीली धातु 03 टुकडे वजन 24.70 ग्राम।

2. धनश्याम उर्फ घंसू पुत्र धनीराम पाल उम्र 36 वर्ष नि0 ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर के कब्जे से चोरी के 35000/- रुपये , रिवाल्वर .32 बोर व 19 अदद .32 बोर कारतूस जिसमें 16 जिन्दा 03 कार0 मिस व पीली धातु वजन 05 ग्राम

3. राजेश ढीमर पुत्र गडुवा उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम भड़रा थाना श्रीनगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी माल 40000/- रुपये व 9.92 ग्राम ठोस पीली धातु।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त आशाराम उर्फ अस्सू धोबी..

1.मु0अ0सं0 2452/2014 धारा 307 भा.द.वि. व 7 क्रिमिनल ला(अमेन्डमेन्ट) एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
2. मु0अ0सं0 2456/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
3. मु0अ0सं0 3543/2014 धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 1970 कोतवाली महोबा
4. मु0अ0सं0 951/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
5. मु0अ0सं0 636/2015 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
6. मु0अ0सं0 592/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
7. मु0अ0सं0 124/2019 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
8. मु0अ0सं0 133/2024 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
9. मु0अ0सं0 249/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
10. मु0अ0सं0 534/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
11. मु0अ0सं0 40/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा
12.मु0अ0सं0 57/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा

कुल बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल (एमवी एक्ट के तहत सीज की गयी)

मु0अ0सं0 40/25 से सम्बन्धित बरामद चोरी की सम्पत्ति का विवरण...

- **01 अदद लाइसेंसी रिवाल्वर**
- **19 अदद कारतूस .32 बोर,**
- **19 अदद कारतूस 315 बोर,**
- **कुल 02 लाख 25 हजार रुपये नगद**
- **पीली धातु 39.62 ग्राम अनुमानित कीमत 03 लाख 30 हजार रुपये**

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली नगर, श्री अर्जुन सिंह
2. निरीक्षक अपराध श्री बलवान सिंह
3. उ0नि0 विवेक कुमार यादव चौकी प्रभारी मनियादेव
4. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी इन्चार्ज बजरिया
5. हे0का0 विकास सिंह
6. का0 राजेश सिंह
7. का0 आमिर खान

- एसओजी टीम-

1.उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट
2.उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांश
3.उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह
4.हे.कां. भूपेन्द्र सिंह
5.कां. दीपक वर्मा
6.कां0 रंजीत सिंह
7.कां. आशीष बघेल
8.कां.निर्भय सिंह
9.कां. कुलदीप यादव
10.कां. सत्यम सिंह जादौन
11.कां. अभिषेक दुबे

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में #30जनवरी (शहीद दिवस) पर पुलिस कार्यालय पर मौन धारण किया गया।

आज दिनांक- 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों व राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी (शहीद दिवस) के अवसर पर 02 मिनट का मौन धारण कर शहीदों का स्मरण किया गया व देश ।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में नियुक्त समस्त शाखा प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक- 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 06 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं की काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुआ है, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान म0कां0 रेखा देवी, म0कां0 नेहा सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्रीमती नीतू पालीवाल, श्री रामजी गुप्ता, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री मो0 हनीफ, श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।